



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड फाफामऊ  
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
261,ए शान्तीपुरम,प्रयागराज

ई-मेल:eddphaphamau@gmail.com  
फोन नं०- 0532-2447104

पत्रांक:- 4777 / वि०वि०खं०फा०(प्रया०) / डी० / टी० एण्ड सी० / दिनांक:- 26-06-2023

विषय :- निजी नलकूप नये संयोजन हेतु नियम व शर्तें।

सेवा में,

श्रीमती कान्ती देवी,  
पत्नी राम चन्द्र त्रिपाठी,  
निवासी लाल का पूरा, श्रृंग्वेरपुर,  
प्रयागराज।

FM-5/

/

आवेदन सं० :- 1008291473

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक ----- के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपका नलकूप के लिए -5-- अश्वशक्ति तथा पंखा-बत्ती के लिए ---120--- वाट की स्वीकृत दिनांक ----- को प्रदान कर दी गयी है।

अतः कनेक्शन के सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित शर्तें सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है:-

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रू० 3914/-
2. प्रतिभूति के रूप में निजी नलकूप रू० 1500/- अन्य राशि रू० 30122/- कुल रू० 35536/-
3. आपको नलकूप के कनेक्शन देने हेतु ..... रुपये का व्यय भार कारपोरेशन का वहन करना होगा। जबकि कारपोरेशन द्वारा इस माह से रुपये ..... की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः यदि आप बढ़ता ..... रुपये को जमा कर देते हैं तो वह 05 वर्ष बाद एक साथ तथा अगले 10 छमाही किश्तों में 05 वर्षों में 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा।
4. आपको कनेक्शन के लिए कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मीटर लाईन पड़ने के कारण ..... रुपये अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
5. मीटर निरीक्षण शुल्क के शासकीय कोष में 043 विद्युत कर एवं शुल्क भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क रू० .....500.00 जमा करना होगा।
6. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33/11 के०वी० विद्युत उपस्थान ..... से अपने वाहन द्वारा सामान की दुलाई करना होगा। सामान दुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर्थ श्रमिक जाएगा तथा शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा।
7. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट-बालू तथा सीमेण्ट का प्रबन्ध करना पड़ता है अतः उसी में से उपर्युक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाईन व कनेक्शन हेतु देय होगी।
8. कनेक्शन हेतु लाईन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको वहन(प्रबन्ध) करना पड़ेगा।

नोट:

1. क्रम संख्या 6, 7 एवं 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किये जाने वाले खर्च आपको इस्टीमेट से कम कर दिया जाएगा तथा यह शर्तें ..... रुपये प्रतिमीटर की दर से खड़ा करके रू० ..... प्रतिमीटर की दर से दी गयी है।

कृ०प०उ०

2. सीमेण्ट, बालू एवं गिट्टी आवश्यक केबल अन्तिम खम्भें तक एंगिल पोल तथा स्टे के लिए निम्नलिखित देय होगी:-  
प्रति खम्भा सीमेण्ट 0.85 बोरी बालू 4.05 घन फिट गिट्टी 9.10 घन फिट
3. कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 13 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित कार्यालय में पधारकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
4. नॉन जूडिशियल 100/- का जनरल स्टाम्प पेपर 1/- रसीदी टिकट एवं बोरिंग पत्र विकास खण्ड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित साथ लायें।
5. ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाईन चार्ज के रूप की रसीद लायें।  
आपके कनेक्शन की बिजली तभी दी जाएगी जब आपके वायरिंग पूरा होगा और बी०एल० फार्म और मीटर डिकलेरेशन फार्म (मोटर मुआवजे के ट्रेजरी चालान सहित) अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उसकी रसीद प्राप्त कर लें।  
यदि आप उपरोक्त शर्त इस पत्र के पाने के 30 दिन बाद तक पूरा नहीं करते हैं तब समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है और जमानत का रू० ..... भी जब्त हो जाएगा।
6. आपको अपने अधिष्ठान पर 750/100 आर०पी०एम० की मोटर के लिए ..... के०वी०आर० का एल०टी० कैपिसटर लगाना पड़ेगा।
7. पी०वी०सी० केबिल - उपभोक्ता द्वारा देया होगा।

धनराशि का विवरण:-

1	लाईन चार्ज	रू०	3540.00
2	जमानत राशि	रू०	1500.00
3	फिक्स चार्ज	रू०	3914.00
4	प्रोसेसिंग शुल्क	रू०	00.00
5	सब-स्टेशन चार्ज	रू०	94582.00
	कुल धनराशि	रू०	<u>103536.00</u>
	लघु सिचार्ज विभाग द्वारा खण्ड को प्रेषित धनराशि	रू०	<u>68000.00</u>
	कुल देय धनराशि	रू०	<u>35536.00</u>

विनीत

(अधिशासी अभियन्ता)

पत्रांक:- /वि०वि०खं०फा०(प्रया०)/डी०/टी० एण्ड सी०/  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड सोरांव/फाफामऊ, प्रयागराज।
2. क्षेत्र विकास अधिकारी।
3. एग्रीमेंट क्लर्क।

(अधिशासी अभियन्ता)